न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 3/2023 (निगरानी)
जीसीएमएस नं0 2023/253

सरकार जरिये खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा

–निगराकार

बनाम

मोतीलाल आत्मज श्री बालानाथ जाति माली मृतक जरिये कायम मुकाम–

1. हरगोविन्द पुत्र मोतीलाल जाति माली
2. ओम आत्मज मोतीलाल जाति माली
3. गोपाल आत्मज मोतीलाल जाति माली
4. घनश्याम आत्मज मोतीलाल जाति माली
5. सुरेश सैनी आत्मज मोतीलाल जाति माली
6. प्रीतम आत्मज मोतीलाल जाति माली
7. प्रेम आत्मज मोतीलाल जाति माली

निवासीगण ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 बाबत विक्रय विलेख क्रमांक 14 दिनांक 31.12.1998 /31.3.99 खारिज करने हेतु ।

उपस्थित :–

1. श्री शशी प्रकाश सोरल अभिभाषक निगराकार
2. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 06.05.2024

1. निगरानी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ताथेड पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा ग्राम ताथेड पटवार हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 455 में 8100 वर्गफीट का पट्टा गैर निगराकारान के पिता श्री मोतीलाल आत्मज श्री बालानाथ के नाम जारी किया गया था, जिसका पट्टा क्रमांक 14 दिनांक 30.12.1998 /31.3.1999 है । उक्त पट्टा जारी करते समय भूमि सिवायचक होने एवं आबादी भूमि का नहीं होने से पट्टा निरस्त कराने हेतु यह निगरानी जरिये अभिभाषक श्री शशि प्रकाश सोरल के दिनांक 31.10.2023 को प्रस्तुत हुई है ।
2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया । गैर निगरागार की ओर से अभिभाषक श्री रूपेश कुमार श्रृंगी का वकालतनामा पेश हुआ । वकील गैर निगराकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील निगराकार द्वारा मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत ताथेड पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा ग्राम ताथेड पटवार हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 455 में 8100 वर्गफीट का पट्टा गैर निगराकारान के पिता श्री मोतीलाल आत्मज श्री बालानाथ के नाम जारी किया गया था, जिसका पट्टा क्रमांक 14 दिनांक 30.12.1998 /31.3.1999 है । उक्त पट्टा जारी करते समय भूमि सिवायचक होने एवं आबादी भूमि का नहीं होने से श्री मोतीलाल की मृत्यु दिनांक 25.12.2003 को हो चुकी है व गैर निगराकारान उक्त मोतीलाल के उत्तराधिकारीगण व विधिक वारिसान है । मोतीलाल के नाम पट्टा जारी करते समय खसरा नम्बर 455 ग्राम ताथेड तत्कालीन जमाबंदी अनुसार

जिला कलेक्टर
कोटा

सिवायचक भूमि थी जमाबंदी संवत 2038 से 2057 के अनुसार खसरा नम्बर 455 रकबा 2.56 हे0 गैर मुमकिन खलिहान दर्ज था । इस प्रकार ग्राम पंचायत ताथेड द्वारा मोतीलाल के नाम जारी आबादी भूमि का पट्टा ग्राम ताथेड की खसरा नम्बर 455 की भूमि आबादी में दर्ज नहीं थी । मोतीलाल के नाम जारी पट्टा खसरा नम्बर 455/4 कुल रकबा 0.3200 हे0 में से 8,100 वर्गफीट पैमायश का जारी किया गया था जो भूमि गैर मुमकिन स्कूल के नाम दर्ज है तथा जिस पर नियमानुसार विक्रय विलेख जारी किया नहीं जा सकता था । एवं विक्रय विलेख जारी करते समय भी उक्त भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित था । उक्त स्थिति में यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि ग्राम पंचायत ताथेड द्वारा श्री मोतीलाल आत्मज बालानाथ को जारी विवादित भूमि का पट्टा विलेख कमांक 14 दिनांक 30.12.98 /31.3.1999 प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि जिस भूमि के सम्बन्ध में पट्टा विलेख जारी किया गया उक्त भूमि गैर मुमकिन खलियान की भूमि थी, जो कि आबादी भूमि नहीं होने के कारण उक्त भूमि का पट्टा /विक्रय विलेख जारी नहीं हो सकता था । ग्राम पंचायत ताथेड द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्तनीय है ।

4. गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत ताथेड पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा ग्राम ताथेड पटवार हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 455 में 8100 वर्गफीट का पट्टा गैर निगराकारान के पिता श्री मोतीलाल आत्मज श्री बालानाथ के नाम जारी किया गया था, श्री मोतीलाल जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त गैर निगराकार विधिक वारिस है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 455 में से पट्टा जारी किये जाते समय उक्त भूमि का कुल रकबा 2.56 हे0 था तत्पश्चात उक्त भूमि खसरा नम्बर 455/1 में पशु चिकित्सालय के खाते, 455/2 उप स्वास्थ्य केन्द्र के खाते 455/3 एवं 455/4 की भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोतीलाल को आवंटित की गई जो उनके खाते दर्ज है । 455 की शेष भूमि 1.76 हे0 नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है । इस प्रकार खसरा नम्बर 455 की कोई भूमि ग्राम पंचायत के खाते व अधिकार क्षैत्र में नहीं होने से क्षैत्राधिकार के बिना निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है । तत्कालीन समय में ग्राम ताथेड में ख0नं0 455 की रकबा 2.56 हे0 भूमि किस्म गैर मुमकिन खलिहान की भूमि थी तथा ग्राम ताथेड की आबादी क्षैत्र के भीतर की भूमि थी । आबादी क्षैत्र के भीतर की भूमि होने तथा आबादी से घिरी होने के कारण राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 136 के तहत पंचायत द्वारा नियमानुसार संकल्प संख्या 23 दिनांक 30.12.1998 के अनुसरण में दिनांक 27.3.1999 को श्री मोतीलाल जी से 4085/– की राशि प्राप्त कर उक्त पट्टा श्री मोतीलाल जी के पक्ष में जारी किया है जो नियमानुसार जारी किया गया है । श्री मोतीलाल जी तक तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत से गैर निगराकारान उक्त पट्टेशुदा भूमि पर नियमानुसार वैधानिक रूप से काबिज है । निगराकार द्वारा अब 24 वर्श उपरांत प्रस्तुत यह निगरानी कानूनन मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है । वर्ष 2017 में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त खसरा नम्बर 455 की पट्टेशुदा भूमि से गैर निगराकारान को बेदखल करने का प्रयास करने पर गैर निगराकारान द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम–1 दक्षिण कोटा में दीवानी दावा हरगोविन्द वगैराह बनाम नगर विकास न्यास कोटा सीएस 243/2017 पेश किया हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4.5.2017 से अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की है । उक्त वाद वर्तमान में भी न्ययालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) क्रम–2 दक्षिण कोटा में जैरकार है। इस कारण उक्त वाद के जैरकार रहते निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है, श्री मोतीलाल को दिनांक 31.3.1999 को पट्टा दिया गया है जबकि ख0नं0 455 में से कुछ भूमि

जिला कलेक्टर
कोटा

का स्कूल को आवंटन वर्ष 2001–2002 में हुआ है इस कारण पट्टे के समय उक्त भूमि पर स्कूल निर्मित होने का तथ्य पूर्णतया मिथ्या व निराधार है । अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत ताथेड़ द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 31.12.1998 /31.3.1999 को गैर निगराकार मोतीलाल आत्मज बालानाथ के नाम से 50 पैसे प्रति फुट के हिसाब से 8100 वर्गफीट का राशि 4050/– जमा कर खसरा नम्बर 455 में पट्टा जारी किया गया था, पट्टा जारी करते समय भूमि खसरा नम्बर 455 की कुल भूमि 2.56 हे0 गे0मु0 खलियान यानि सिवायचक होकर खाता सरकार थी, खाता पंचायत नहीं थी, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा ही खाता पंचायत नहीं होने से अवैध है तथा सिवायचक भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । तत्पश्चात उक्त भूमि में से सरकार द्वारा खसरा नं0 455/1 में राजकीय पशु चिकित्सालय के नाम, 455/2 में उपस्वास्थ्य केन्द्र के नाम, 455/3 में राजकीय मा0 विद्यालय के नाम तथा 455/4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम आवंटन की गई । तथा खसरा नम्बर 455 की शेष 1.76 हे0 नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज होना जाहिर आया है ।

6. वकील निगराकार का मुख्य कथन यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा गैर निगराकार के पक्ष में गे0मु0 खलियान की भूमि का जारी किया गया है जो अवैध है तथा भूमि सिवायचक होने से खसरा नम्बर 455/4 की भूमि पर रा0 प्राथमिक विद्यालय को आवंटन होकर वर्तमान में विद्यालय भवन बना हुआ है तथा विद्यालय के उपयोग में आना बताया है । इसके विपरीत गैर निगराकार का कथन है कि खसरा नम्बर 455 की भूमि नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज होने से यह निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं बताया है, किन्तु हमारा मानना है कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था तब भूमि गै0मु0 खलियान सिवायचक खाता सरकार थी, जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, तत्पश्चात यह भूमि रा0 प्राथमिक विद्यालय के नाम आवंटित हो चुकी है, वकील निगराकार का यह भी तर्क है कि यह पट्टा पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया है, जबकि 1996 के बाद में आबादी भूमि के अन्दर ग्राम पंचायत केवल 2700 वर्गफीट तो आबादी में एवं 4500 वर्गफीट व्यावसायिक का जारी करने का अधिकार है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर गै0मु0 खलियान सिवायचक खाता सरकार भूमि में पट्टा जारी किया गया है । इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार मोतीलाल आत्मज बालानाथ के पक्ष में जारी किया गया पट्टा कमांक 14 दिनांक दिनांक 31.12.1998 /31.3.1999 प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर गे0मु0 खलियान खाता सरकार भूमि का जारी किया गया पट्टा कमांक 14 दिनांक दिनांक 31.12.1998 /31.3.1999 निरस्त किया जाता है ।

8. यह निर्णय आज दिनांक 06.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा